संख्या- 39 /2020/बी-2-241/दस-2020-1/2020

प्रेषक,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 2020

विषय-राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020- 21 के आय-व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध मे अवगत कराना है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को सामान्य समनुदेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के लेखाशीर्ष "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन " के अन्तर्गत व्यवस्थित कुल धनराशि रूपये 6200.00 करोड़ (रूपये छः हजार दो सौ करोड़ मात्र) में से शासनादेश संख्या-27/2020/बी-2-135/दस-2020-2/2019, दिनांक 13 जुलाई, 2020 द्वारा धनराशि रूपये 516.67 करोड, शासनादेश संख्या-30/2020/बी-2-168/दस-2020-1/2020, दिनांक 14 अगस्त, 2020 द्वारा धनराशि रूपये 516.67 करोड, शासनादेश संख्या-33/2020/बी-2- 189/दस-2020-1/2020, दिनांक 04 सितम्बर, 2020 द्वारा धनराशि रूपये 516.67 करोड एवं शासनादेश संख्या-34/2020/बी-2-195/दस-2020-1/2020, दिनांक 14 सितम्बर, 2020 द्वारा धनराशि रूपये 516.67 करोड अर्थात कुल धनराशि रूपये 2066.68 करोड़ (रूपये दो हजार छाछठ् करोड़ अड़सठ् लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

2-अब जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को सामान्य समनुदेशन हेतु धनराशि रूपये 516.67 करोड़ (रूपये पाँच सौ सोलह करोड़ सरसठ् लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है, जिसे मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं हेतु सामान्य समनुदेशन मद में स्वीकृत कुल धनराशि रुपये 2583.35 करोड़ हो जायेगी ।

3-उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब स्वीकृत की जा रही धनराशि रुपये 516.67 करोड़ निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि का जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।

(2) पंचायती राज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी।

(4) निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायती राज संस्थाओं का बैंक खाता आई.एफ.एस.सी कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या दिनांक सहित पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(7) पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायतीराज उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगें।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षों के नामे डाला जायेगा:-

क्र.सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष
1.	जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– 196- जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता– 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 01-सामान्य समनुदेशन– 28-समनुदेशन"
2.	ब्लाक पंचायत/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– 197- ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 01-सामान्य समनुदेशन– 28-समनुदेशन"
3.	ग्राम पंचायत	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– 198-ग्राम पंचायतों को सहायता– 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 01-सामान्य समनुदेशन– 28-समनुदेशन"

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या- 39/2020/बी-2-241(1)/दस-2020-1/2020, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2,
5- पंचायती राज अनुभाग-3,
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in